राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ. 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2025/38062-377 दिनांकः 16/06/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राज.।

विषयः– पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा (24 जून से 09 जुलाई, 2025) एवं मानसून पूर्व तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश।

....

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन आगामी 24 जून से 09 जुलाई 2025 तक राज्य भर में किया जाना निर्धारित है। इसके साथ ही, आगामी मानसून/बरसात के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों में विशेष तैयारी की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किये जाते हैं कि वे निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. सभी बरसाती नालों, सीवर लाइनों एवं ड्रेनेज चैनलों की सफाई 15 अप्रैल से प्रारंभ की जा चुकी है इस कार्य को नियमित रूप से जारी रखें तथा सतत मॉनिटरिंग एवं साइट निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें।
2. जलभराव की पूर्व संभावना वाले स्थलों की पहचान कर, आवश्यक समाधान एवं वर्षाजल की त्वरित एवं निर्बाध निकासी हेतु पुख्ता एवं स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. रेलवे अंडरपास, निचले क्षेत्रों में बसी बस्तियाँ एवं प्रमुख सड़क चौराहों पर वर्षा के समय जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पंप सेट्स, नाव, मिट्टी से भरे कट्टे आदि की पूर्व तैयारी एवं त्वरित तैनाती सुनिश्चित की जाए।
4. बरसाती नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों की पहचान कर, नियमानुसार अभियान संचालित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
5. वृक्षारोपण के लिए गड्ढों की खुदाई शीघ्रता से पूर्ण कराई जाए ताकि पखवाड़े के दौरान पौधारोपण किया जा सके।
6. तालाबों, नाड़ियों एवं अन्य सार्वजनिक जल स्त्रोतों की समुचित सफाई कराई जाए तथा इनके किनारों पर सुरक्षा एवं सावधानियों से संबंधित चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
7. पिछली बरसातों में जिन इलाकों में समस्याएं सामने आई थीं, उनकी समीक्षा करते हुए स्थायी समाधान की दिशा में काम किया जाए।
8. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत मिट्टी से भरे कट्टों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भारी वर्षा या जलभराव की स्थिति में तुरंत उपयोग में लिया जा सके।

9. मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों पर पहले से संग्रहित वस्तुओं जैसे कपड़े, फर्नीचर, खिलौने आदि का संग्रहण एवं वितरण की योजना बनाकर लागू की जाए।
10. सामग्री के संग्रहण हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
11. सामुदायिक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की सफाई पूर्ण की जाए।
12. रात्रिकालीन सफाई कार्यो की ठेकेदारों द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जावें एवं रात्रि निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार स्तर पर किया जावें।
13. पखवाड़े के दौरान 24•7 कॉल मॉनिटरिंग एवं नागरिक फीडबैक व्यवस्था क्रियाशील की जाए।
14. सभी गतिविधियों का फोटो, वीडियो, रजिस्टर आदि के माध्यम से दस्तावेजीकरण करें तथा पूर्व एवं पश्चात की तस्वीरें अनिवार्य रूप से अभिलेखित की जावें।
15. सभी सफाई व अन्य संबंधित भुगतान कार्य मानसून उपरांत किया जाए।
16. समस्त बिंदुओं पर कार्यवाही की निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा।

उक्त समस्त बिंदुओं पर तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/25/38378-747 दिनांक : 16/06/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
08. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा।
11. परियोजना निदेशक (IRGY), रूडसिको, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, समस्त राजस्थान।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
14. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, IT अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता